न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार I, (RAS)**

राजस्व वाद संख्या :– 88/2020 **GCMS 2020/00176**

प्रार्थी:–

1. कमल कुमार पुत्र श्री रतनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम राणासर तहसील कुचामन सिटी

अप्रार्थीगण :–

1. भंवरलाल पुत्र श्री रतनलाल
2. शंकरलाल पुत्र श्री रतनलाल
3. हनुमानप्रसाद पुत्र श्री रतनलाल
   जाति समस्त ब्राह्मण निवासियान ग्राम राणासर तहसील कुचामन सिटी
4. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी

प्रार्थना पत्र रेकर्ड में शुद्धि दुरूस्ती बाबत् अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
राजपैरोकार

–:निर्णय :–

दिनांक :– 12/05/2025

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम राणासर तहसील कुचामन सिटी की सरहद में कृषि भूमि खसरा नं. 728 रकबा 1.45 है. ख.सं. 729 रकबा 0.03 है. ख.नं. 730 रकबा 0.38 है. ख.नं. 731 रकबा 0.03 है. खसरा नं. 732 रकबा 0.01 है. खसरा नं. 733 रकबा 1.82 है. कुल खसरे 6 कुल रकबा 3.72 है. स्थित चली आ रही है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि खसरा नंबर 728, 729, 730, 731, 732, 733 कुल रकबा 3.72 है. में प्रार्थी का 1/8 हिस्सा की काबिज खातेदारी काश्तकारी की दर्ज चली आ रही है जिस पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता आ रहा है। उपरोक्त भूमि में प्रार्थी का खातेदारी में नाम कजोड़ीराम पुत्र रतनलाल जाति ब्राह्मण साकिन देह खातेदार दर्ज चली आ रही है जबकि प्रार्थी का नाम आधार कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में कमल कुमार पुत्र रतनलाल जाति ब्राह्मण [illegible] आ रहा है। उपरोक्त पत्रावली में वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम कजोड़ीराम पुत्र [illegible] जाति ब्राह्मण साकिन देह खातेदार के स्थान पर कमल कुमार पुत्र [illegible]लाल जाति ब्राह्मण साकिन देह

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:54:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

खातेदार दर्ज किया जाना आवश्यक है जिससे भविष्य में ऋण लोन सरकारी सहायता प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम दुरूस्ती किया जाने का प्रार्थना पत्र लाना आवश्यक हुआ है जिसका प्रार्थी अधिकारी है। ग्राम राणासर तहसील कुचामन सिटी की सरहद में कृषि भूमि खसरा नं. 728 रकबा 1.45 है. ख.सं. 729 रकबा 0.03 है. ख.नं. 730 रकबा 0.38 है. ख.नं. 731 रकबा 0.03 है. खसरा नं. 732 रकबा 0.01 है. खसरा नं. 733 रकबा 1.82 है. कुल खसरे 6 कुल रकबा 3.72 है. में 1/8 हिस्सा में प्रार्थी का नाम कजोड़ीमल पुत्र रतनलाल जाति ब्राह्मण साकिन देह खातेदार के स्थान पर कमल कुमार पुत्र रतनलाल जाति ब्राह्मण साकिन देह खातेदार दर्ज करने का नाम शुद्धि दुरूस्ती किया जाने का आदेश तहसीलदार कुचामन सिटी को प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 4 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके अनुसार द्वितीय मिसल बंदोबस्त संवत् 2046 से 2065 तथा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में भी प्रार्थी का नाम कजोड़ीमल पुत्र रतनलाल दर्ज है। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 की ओर से जबाब मय सहमति पेश की गई जिसके अनुसार ग्राम राणासर तहसील कुचामन सिटी की सरहद में कृषि भूमि खसरा नं. 728 रकबा 1.45 है. ख.सं. 729 रकबा 0.03 है. ख.नं. 730 रकबा 0.38 है. ख.नं. 731 रकबा 0.03 है. खसरा नं. 732 रकबा 0.01 है. खसरा नं. 733 रकबा 1.82 है. कुल खसरे 6 कुल रकबा 3.72 है. स्थित चली आ रही है जिसमें अप्रार्थी सं. 1 ता 3 प्रत्येक का 1/12 वां हिस्से की खातेदारी की भूमि आई हुई है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी अप्रार्थीगण का भाई है जिसका खातेदारी में कजोड़मल पुत्र रतनलाल जाति ब्राह्मण साकिन देहखातेदार दर्ज चला आ रहा है जबकि प्रार्थी का नाम आधार कार्ड, राशनकार्ड, इत्यादि में कमल कुमार पुत्र रतनलाल है बाकि दस्तोज में भी कमल कुमार पुत्र रतनलाल है प्रार्थी का गांव में बोलता नाम कजोड़मल होने के कारण खातेदारी में कजोड़[illegible] प्रार्थी का नाम कमल कुमार पुत्र रतनलाल जाति ब्राह्मण है यदि उक्त [illegible] की भूमि में प्रार्थी का नाम कजोड़मल पुत्र रतनलाल जाति [illegible] पर कमल कुमार पुत्र रतनलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:34:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

जाति ब्राह्मण कर दिया जाता है तो अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का कोई किसी अन्य व्यक्ति हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया व राजपैरोकार ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में कब व किस राजस्व संक्रिया के दौरान अशुद्ध दर्ज हुआ है के संबंध में किसी प्रकार के दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे साबित हो कि प्रार्थी का नाम पूर्व के राजस्व रेकर्ड में सही दर्ज था। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12/05/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 15:34:53 IST
Reason: SelfAttested